न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्–सह–विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0), सुपौल

एस0सी0/एस0टी वाद सं0– 52/2026
एस0सी0/एस0टी0 थाना काण्ड संख्या– 23/2026
R.B No. 21/2026

**22/05/2026**

काराधीन अभियुक्त बबलू राय उर्फ हरिवंशय राय की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री शीलभद्र कुमार सिंह के द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी आवेदक बिल्कुल निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई भी जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त का पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा उसके विरूद्व लगाए गए सभी आरोप बिल्कुल बनावटी एवं मनगंढत है तथा स्थानीय राजनीति एवं दुश्मनी के कारण उसे झुठा फंसाया गया है। उभय पक्ष के बीच जमीन संबंधी विवाद है। घटनास्थल सार्वजनिक स्थल पर नहीं घटी है। प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप आकर्षित नहीं होता है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 09/04/2026 से काराधीन है तथा सक्षम जमानतदार देने एवं न्यायालय की हर शर्त मानने को तैयार है। अतः प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता उसे जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री सत्य नारायण मेहता द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा सूचिका के उपस्थित हेतु नोटिस निर्गत किया गया है परंतु सुनवाई के क्रम में सूचिका उपस्थित नहीं हुई है।

प्रस्तुत वाद सूचिका मिलन देवी के आवेदन के आधार पर धारा 126(2), 115(2), 76, 191(2, 191(3), 190, 118(1), 303(2), 119(1) BNS, 27 Arms Act and 3(1)(r)/3(1)(s)/3(1))f)/3(2)(va) SC/ST Act के अंतर्गत दर्ज किया गया है। सूचिका का संक्षेप में कथन है कि दिनांक 04/04/26 को सूचिका अपने घर पर थी। उस दिन उसके घर पर केवल महिलाऐं थी। उस समय करीब 2 बजे दिन में उसके विवादित जमीन पर प्रार्थी अभियुक्त सहित अन्य अभियुक्तगण सभी अपने हाथ में बंदूक, लाठी, रॉड, तीर कमान तथा फट्ठा लेकर जमीन दखल करने के लिए कटीला तार पीलर लेकर उसके जमीन में गाड़ने लगे। सूचिका एवं उसके परिवार के लोग जब जमीन दखल करने से मना करने गये तो तेज नारायण राय ने सूचिका एवं उसकी पुत्री मनीषा कुमारी के उपर तीर चला दिया, तीर उसके बेटी के सिर में लगा जिससे खून बहने लगा और वो वहीं गिर गयी। इतने में सूर्यनारायण तथा सुरेन्द्र राय उसके भतीजी गुड़िया देवी को हाथ में लिये लाठी तथा रॉड से उसके पैर, जांघ तथा पीठ पर मारा जिससे वह चिल्ला कर भागने लगी। तभी बबलु राय उसका ब्लाउज पकड़ कर खींच लिया जिससे ब्लाउज फट गया और वह अर्द्धनग्न हो गयी। फिर बबलु राय उसके गले से सोने का एक भरी का चेन निकाल लिया। मुन्ना राय अपने हाथ में लिये हॉकी स्टीक एवं रॉड से सूचिका के चचेरी भाभी बबली देवी को छाती पर मारकर गिरा दिया। इतने में धर्मो राय तथा जोगी राय अपने हाथ में लिए बंदुक से अंधाधुंध फायर करने लगा। प्रेम राय तथा पवन राय ने हाथ में लिय लोहे के रॉड तथा फट्ठा से उसकी बेटी काजल कुमारी को जमीन पर गिरा कर उसके पीठ तथा कुल्हा पर अंधाधुंध मारने लगा। सूचक शिवचन्द्र राय अपने हाथ में लिये हॉकी स्टीक से उसकी चचेरी भाभी संगीता देवी को मारकर जमीन पर गिरा दिया। इतने में मिठु राय तथा नित्यानंद राय मिलकर उसके चचेरी भतीजी पार्वती कुमारी को हाथ में लिए फट्ठा से मारने लगा। जब उसकी मां ननकी देवी बचाने लगी तो शिवचन्द राय ने उसे उठाकर रोड पर पटक दिया जिससे उसके शरीर का कपड़ा हट गया और वह अर्द्धनग्न हो गयी। जब सूचिका तथा उसके परिवार वाले चिल्लाने और हल्ला करने लगे तो गांव के लोग जमा हुए और सभी का जान बच पाया। इसके बाद नामित लोग और अज्ञात मिलकर उसके विवादित जमीन में बने उसके चचेरे भाई लालू राम के गुमटी वाला दुकान को लूटपाट करने लगें और गल्ला में रखा सब रूपया निकाल लिया और दुकान को तोड़फोड़ दिया। इसके बाद सभी अभियुक्तगण धमकी देते हुए बोला कि इस जमीन को दखल करने से रोकेगी तो सबका सरेआम ईज्जत लूट लेंगे तथा जान से मार देंगे। तभी उसके परिवार के किसी सदसय के द्वारा 112 पर फोन किया और 112 की गाड़ी आयी लेकिन मामला संभाल नहीं पाया केवल तीर लेकर चले गये। उसके दो घंटे बाद जदिया थाना पहुॅचा तब नामित तथा अज्ञात लोग भागे। उसके बार जख्मियों को पुलिस वाहन से त्रिवेणीगंज अस्पताल ले जाया गया।

उभय पक्ष को सुना। अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर सूचिका के जमीन को हड़पने के लिए उसके जमीन को कांटीला तार एवं पीलर से घेरने एवं सूचिका एवं उसके परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा मना करने पर बंदूक, लाठी, फट्ठा रॉड एवं तीर कमान से मारपीट करने का आरोप है। प्राथमिकी से स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध मारपीट करने का कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। अभिलेख से स्पष्ट है

कि उभय पक्ष के बीच जमीन संबंधी विवाद है तथा उसी दिन के घटना को लेकर सह–अभियुक्त सुरेन्द्र राय के द्वारा सूचिका एवं उसके परिवार के अन्य सदस्यों के विरूद्ध जदिया थाना काण्ड सं0 61/26 भी दर्ज कराया गया है। काण्ड दैनिकी की कंडिका में 29 से 39 में सूचिका एवं अन्य जख्मियों का जख्म प्रतिवेदन वर्णित है जिससे स्पष्ट है कि किसी भी जख्मों के बदन पर मर्म भाग पर कोई जख्म नहीं है तथा सभी जख्मियों के बदन पर साधारण प्रकृति के जख्म पाये गये है। अब तक प्राप्त काण्ड दैनिकी में प्रार्थी अभियुक्त का आपराधिक इतिहास वर्णित नहीं है परंतु जमानत आवेदन के कंडिका 03 के अनुसार प्रार्थी अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी अभियूक्त दिनांक 09/04/26 से काराधीन है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों में प्रार्थी अभियुक्त बबलु राय उर्फ हरिवंश राय द्वारा कारा में बिताई गयी अवधि को ध्यान में रखते हुए उसकी ओर से दाखिल जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। तद्नुसार प्रार्थी अभियुक्त की ओर से मो0 10,000/– रूपये के बंध पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

(दिलीप कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0), सुपौल